प्रेस-विज्ञप्ति 31.01.2018

विषय: UP GST विभाग के अधिकारियों द्वारा e-way बिल पर
कार्यशाला, पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति व् प्रनोत्तरी सत्र

दिनांक 31 जनवरी, 2018 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश-GST विभाग, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन, तथा सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन संयुक्त तत्वाधान में ***"ई-वे (E-way) बिल"*** पर कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा पॉवर-पॉइंट द्वारा e-way बिल बनाने की प्रक्रिया विस्तार से दर्शित की गयी।

श्री पी.के. मिश्रा, अपर आयुक्त, UPGST विभाग, ग्रेड-1, जोन द्वारा सत्र में यह सूचित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर e-way बिल की नई व्यवस्था ऑनलाइन GST के e-way बिल NIC पोर्टल पर कल दिनांक 01.02.2018 से लागू कर दी जायेगी। उत्तर प्रदेश (सहित राज्यों के भीतर भी) 13 राज्यों में माल के परिवहन पर ओपचारिक रूप से प्रभावी होगी। e-way बिल की नई व्यवस्था में कुछ तकनीकी समस्या आना स्वभाविक है जिसे समय से GST Council स्तर पर दूर की जायेंगी।

उत्तर प्रदेश GST विभाग के अपर आयुक्त, श्री वी.पी. सिंह, जोन-2, कानपुर , द्वारा आश्वस्त किया गया कि व्यपारियों का अनावश्यक उत्पीडन नही होगा किन्तु e-way बिल के नियमानुसार माल (रुपया 50,000/- या उससे अधिक) के परिवहन (प्रांत या प्रान्त के बाहर) पर उन्हें GST के NIC पोर्टल पर e-way जनरेट करना होगा। यदि क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा e-way बिल जनरेट नहीं किया गया है या रुपया 50,000/- के अधिक की कीमत का माल किसी वाहन पर लदा है तो इस अवस्था में ट्रांसपोर्टर को e-way जनरेट करना होगा।

कार्यशाला के उदघाटन सत्र में मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के लाहोटी ने कहा कि यदि माल रुपया 50,000/- से कम मूल्य का हो तब e-way की अनिवार्यता व्यापारिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। यदि ट्रांसपोर्टर को रुपया 50,000/- से अधिक की कीमत के माल ले लिए e-way बिल जनरेट करना होगा तो ट्रांसपोर्टर रुपया 50,000/- से कम कीमत के माल के लिए e-way बिल जनरेट करने के लिए मना कर देगा और रुपया 50,000/- से कम पर e-way बिल नहीं ले सकते है। सरकार को ट्रांसपोर्टर के स्तर पर e-way जनरेट करने की अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए तभी e-way बिल की लागू प्रक्रिया से कारोबारियों को लाभ मिलेगा। e-way बिल के पोर्टल B में वाहन संख्या भरने का कोइ औचित्य नहीं है जबकि उसकी जगह माल के बिल्टी नंबर डालने का प्रावधान होना चाहिए जिससे माल के साथ टैक्स इनवॉइस व् E-eay बिल पर अंकित बिल्टी नंबर लिखा हो।

तकनीकी सत्र में उपयुक्त, श्री विशाल पुंडीर, उपायुक्त-श्री अमित पाठक, सहायक आयुक्त-श्री शलेन्द्र वार्ष्णेय, तथा जॉइंट कमिश्नर-श्री के.एम. मिश्रा, ने संयुक्त रूप से पंजीयन तथा E-way बिल पोर्टल

द्वारा जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया का पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारीयों ने इस प्रक्रिया को अपंजीकृत व्यापारियों के लिए भी विस्तृत रूप से बतायी।

ओपन फोरम में उद्यमियों एवं व्यापारियों ने GST विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याएँ उठाई। विभाग से आये हुए अधकारियों ने व्यापारियों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का निदान किया तथा आश्वस्त किया कि जो प्रश्न उनकी द्वारा उत्तर नहीं दिए गए है वह विभाग की ओर से GST Council को प्रेषित किये जायेंगे।

सत्र का संचालन श्री नवीन भार्गव ने किया एवं धन्यवाद-प्रस्ताव श्री अतुल मेहरोत्रा, अध्यक्ष, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, ने प्रस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य: श्री संतोष गुप्ता, अध्यक्ष-टैक्स बार एसोसिएशन, श्री ए.के. निगम, अध्यक्ष-सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, श्री शेष नारायन त्रिवेदी, श्री मुकुल टंडन, श्री रियाजुद्दीन जुनैदी, श्री देवेन्द्र डंग, श्री उमेश पाण्डेय, श्री सुशील शर्मा, श्री ए.के. सिन्हा, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, तथा कानपुर के विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सधन्यवाद